न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 88 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 214

अनवान

1. दल्लु आत्मज गोदु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लक्ष्मणलाल आत्मज गोदु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुवालाल आत्मज गोदु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गुलाबीदेवी पत्नि गोदु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. देवा आत्मज नानु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति

1. महेन्द्रसिंह चुण्डावत – वादी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांकः–14.08.2025

प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम थला पटवार मण्डल थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं अणछीदेवी, प्रेमदेवी मृतक के पुत्र कमलेश, घनश्याम, मोहनीदेवी पुत्री गोदा के के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2303 / 1931 रकबा 0.0216 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी एंव नक्शा ट्रेस वादपत्र के साथ पेश है। उक्त वर्णित आराजियात पर प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक अधिकार नही है फिर भी प्रतिवादी आये दिन वादीगण की उक्त आराजियात पर नाजायज दंखलदाजी करने लगं गया, जिससे वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट के तहत न्यायालय श्रीमान सहायक लैण्ड रिकॉर्ड अधिकारी रायपुर के यहाँ प्रस्तुत किया, उसमे न्यायालय द्वारा दिनाक 13–03–2023 को पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान फरमाया गया है। पत्थरगढी आदेश को पालना मे दिनाक 13.06.2024 को पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक वादी की उक्त आराजी पर पत्थरगढ़ी की तो प्रतिवादी संख्या 1 का वादीगण की आराजी संख्या 2303 / 1931 रकबा 0.0216 है0 भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया है जो वादीगण की खातेदारी की ही पाई गई जिससे वादीगण को कब्जेयाबी की डिक्री बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि बहक वादीगण विरूद्ध

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

प्रतिवादीगण इस आशय की बेदखली की डिक्री सादर फरमाई जावे कि ग्राम गाडरीखेड़ा में स्थित वादीगण की खातेदारी आराजियात 2303/1931 रकबा 0.0216 है0 भूमि से प्रतिवादी का अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से दिनांक 30.01.2025 को एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादपत्र को दोहराते हुए बताया कि वादीगण के नाम दर्ज खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी का कब्जा पाया है जिसको पुनः वादीगण को कब्जा दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने एवं वादी अधिवक्ता की बहस सुनने पर पाया कि वादीगण की खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 2303/1931 दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादी, वादीगण की आराजी संख्या 2303/1931 रकबा 0.0216 है0 भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है जो पत्थरगढ़ी के मौके पर्चे में स्पष्ट अंकन किया गया है। वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा पाया गया है जो कब्जा वादीगण लेने का अधिकारी है। प्रतिवादी, वादीगण की भूमि पर काश्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गाडरीखेड़ा पटवार मण्डल थला की आराजी संख्या 2303/1931 रकबा 0.0216 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादीगण को दिलाया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2025 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (जिला) भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :– **श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.**

राजस्व आवेदन संख्या :– **88 / 2024**

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– **2024 / 214**

अनवान

1. दल्लु आत्मज गोदु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लक्ष्मणलाल आत्मज गोदु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुवालाल आत्मज गोदु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गुलाबीदेवी पत्नि गोदु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. देवा आत्मज नानु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 14.08.2025

वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गाडरीखेड़ा पटवार मण्डल थला की आराजी संख्या 2303 / 1931 रकबा 0.0216 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादीगण को दिलाया जावे। इसी अनुसार डिकी जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

डिकी आज दिनांक 14.08.2025 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा